रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-42/2020/2883/22-2-2019-17(28)/2018

लखनऊ:दिनांक: 29 जनवरी, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवीचरन (बन्दी संख्या-214/10) पुत्र श्री रामदयाल, निवासी-इंगोहटा, थाना-सुमेरपुर, जनपद-हमीरपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-216/04 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-2, हमीरपुर के आदेश दिनांक 16.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की वृद्धावस्था, काटी गयी सजा, अच्छे जेल आचरण के आधार पर की गयी संस्तुति तथा आयु 86 वर्ष होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2020/2883(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

3- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in